हिन्दी भाषा स्वतन्त्रता से पहले और बाद का स्वरूप

हिन्दी का जन्म भारत भूमि की आत्मा से हुआ है। इसलिए जो इसको बोलता व लिखता है उसकी भाषा भारतीय संस्कृति से ओत-प्रोत भाषा होती है। ऋग्वेद की ऋचाएं कामायनी कहती है। मैथिलीशरण गुप्त की वाणी भारत घरा व संस्कृति को शत-शत वन्दन करती है। आधुनिक हिन्दी साहित्य लोगों के दर्दों की कहानी कह कर जनमानस को झकझोड़ देता है। भारत की राष्ट्र भाषा वो ही कही जा सकती है जिसमें जनमानस बोलता है। भारत की आत्मा बोलती है। आज भारत में लगभग 75% लोग हिन्दी बोलते व समझते हैं।

(क) स्वतन्त्रता से पहले हिन्दी भाषा का स्वरूपः हिन्दी भाषा का आरम्भ आज से लगभग एक हज़ार वर्ष पूर्व हो चुका था। हिन्दी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से माना गया है। आरम्भिक हिन्दी पर संस्कृत भाषा का प्रभाव था परन्तु धीरे–धीरे विभिन्न उपभाषाओं के प्रभाव से इसका रूप सरल होता गया और एक स्वतन्त्र रूप की ओर विकसित हुई। अतः हिन्दी में विभिन्न भाषाएं जैसे मैथिली, ब्रज, खड़ी बोली, अवधि, पंजाबी का प्रभाव नज़र आता है। भाषायी विचारक पृथ्वीराज रासो को हिन्दी की पहली रचना स्वीकार करते हैं। आज जो हिन्दी की स्थिति है उसका विचार करने से पूर्व हमें हिन्दी के स्वरूप को ठीक से समझने क लिए हमें स्वतन्त्रता पूर्व की हिन्दी को तीन शीर्षकों के अन्तर्गत समझना होगा।

1. **आदिकालः** आदिकाल में पुरानी हिन्दी को एक विशेष स्थान प्राप्त था। चारणों और लोक गायकों ने समकालीन परिस्थितियों के अनुकूल ओजस्वी वीर गाथाओं की रचना की उनकी भाषा को डिंगल कहा गया। उस समय जो भी भाषाओं और बोलियों का प्रयोग हुआ है। यह प्राकृत और अपभ्रंश से विकसित हुई। ये सभी बोलचाल लोकगीतों व लोक काव्यों का माध्यम रही है। बौद्ध भिक्षुओं, जैन साधुओं, नाथों, सिंह– पंथकों और महात्माओं ने इन्हीं बोलियाँ व उपभाषाओं में अपने उपदेशों का प्रचार किया। इसको अनेक विद्वानों ने पुरानी हिन्दी का नाम दिया। अतः उस समय में भारत के बहुत बड़े भाग में पुरानी हिन्दी ही जन मानस में समझी जाती थी। अमीर खुसरो का नाम भी इसी पुरानी हिन्दी से जोड़ा जाता

है। चौदहवीं शताब्दी तक आते–आते दक्षिण के राजकाज की भाषा दक्षिणी हिन्दी हो गई थी। जिसमें फारसी हिन्दी भाषा शैली में सूफियों, सन्तों ने रचनाएँ की बहुत से विद्वान आदिकाल में जन–सामान्य एवं साहित्यिक स्तर पर हिन्दी को प्रमुख भाषा स्वीकार करते हैं।

2. मध्यकालः यह युग भक्तिकाल से भी जाना जाता है। इस युग में हिन्दी पूरी तरह से अपने पाँव पसार चुकी थी। हिन्दी जन मानस की भाषा बनकर लोक संस्कृति की पहचान बनी। वही भाषा को मध्यकाल के भक्तों, सन्तों ने अपनाया है। प्राचीन ज्ञान संस्कृत में सुरक्षित था। इस काल तक आते–आते अपभ्रंश से निकली अवधि में भारत की भावनाओं को अभिव्यंजित किया। यह लोकभाषा बनी। विद्वानों ने हिन्दी के नाम से प्रतिष्ठित किया। भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले साहित्यकार संत कबीर, जायसी सूर, तुलसी, मीरा, केशव, नामदेव रहीम, रसखान, भूषण इसी भाषा में रचनाएँ लिखी है।

3. आधुनिक कालः अरबी फारसी के प्रभाव के साथ 1800 ई. में हिन्दी काफी विकसित हो चुकी थी। पद्य और गद्य में रचनाएँ होने लगी। जिसको खड़ी बोली ने काफी प्रभावित किया। सन् 1800 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से हिन्दी विभाग खोला गया। यहाँ हिन्दी को प्रचारित करने का अवसर मिला। इस समय के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेन्दु द्विवेदी, हरिऔध, गुप्त, प्रसाद पन्त, निराला, महादेवी को हिन्दी के प्रति जन मानस में प्रेम भरने का श्रेय जाता है। भारतेन्दु एवं उनकी मण्डली ने हिन्दी में साहित्य रचनाओं से हिन्दी का भारत में प्रचार किया। राजा राम मोहन राय ने सन् 1826 में बंगदूत नाम का पत्र हिन्दी, अंग्रेजी, बंगला में निकाला। श्री केशव चन्द्र सेन ने अपने पत्र

सुलभ समाचार में कहा कि हिन्दी ही भारत की एकता के लिए सर्वमान्य भाषा है।

हिन्दी विकास पर दृष्टिपात करे तो हिन्दी को पूर्व हिन्दी एवं पश्चिमी हिन्दी के नाम से जाना जाता है।

पूर्वी हिन्दी की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से मानी जाती है और पश्चिमी हिन्दी की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। धीरे–धीरे विकसित होते हुए हिन्दी उत्तर भारत की जन सम्पर्क की भाषा बनी।

मुगल शासकों में फारसी केवल राज दरबार की भाषा बनकर रह गई। संस्कृतियों के मेल के कारण कुछ समय तक हिन्दी और उर्दू में मतभेद नहीं माना जाता था परन्तु धीरे–धीरे आपस में कई कारणों से दूर होती चली गई। हिन्दी और उर्दू में राज कवि रह सम्मान की स्पर्धा जागृत हो गई। आजादी के ध्वजवाहकों जैसे– केशव चन्द्र सेन, उपन्यासकार बंकिमचन्द्र चटजी, अरविन्द घोष, बालगंगाधर तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिन्दी को न केवल स्वतन्त्रता के लिए अपने अभियान की भाषा बनाया बल्कि यह स्वीकार किया कि आजादी के बाद भी देश को हिन्दी के माध्यम से एकता के सूत्र में बांधे रखा जाए। गांधी जी की प्रेरणा से हिन्दी प्रचार समिति की स्थापना भी हुई। ईस्ट इंडिया कम्पनी ने आम लोगों को उस समय के कानूनों से अवगत करवाने के लिए हिन्दी में अनुवाद करने का आदेश दिया और इस प्रकार हिन्दी का राजकीय दृष्टिकोण से भी हिन्दी का प्रयोग होने लगा ।

S.D. COLLEGE OF EDUCATION
KNOWLEDGE IS VISION SUPREME
ज्ञानं चक्षुर्मनुष्याणाम

4. अंग्रेज़ काल में हिन्दी का स्वरूपः अंग्रेजों के आगमन पर उन्होंने महसूस किया कि देश में आपसी विचार–विमर्श के लिए कोई सामान्य भाषा होनी चाहिए तो यह भाषा हिन्दी हो सकती थी। 1801 में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने घोषणा की थी कि प्रशासनिक सेवा में केवल उन्हीं व्यक्तियों को ऊँचे पदों पर नियुक्त किया जाएगा जिन्हें हिन्दुस्तानी भाषा का ज्ञान होगा। इसलिए अनेक अग्रेज अधिकारियों ने हिन्दी सीखी। कुछ अंग्रेज अधिकारियों व विद्वानों ने जैसे विलियम वर्डस्वर्थ, ग्रिलक्राइस्ट, जॉर्ज ग्रियर्सन आदि ने भी इसकी उपयोगिता को स्वीकार कर और स्थानीय लोगों से सम्पर्क के लिए हिन्दुस्तानी परीक्षा की जरूरत पर बल दिया। इसलिए अनेक अंग्रेज अधिकारियों ने हिन्दी सीखी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि

अंग्रेजों की दृष्टि में भी हिन्दी ही भारत के बहुत बड़े भू–भाग में बोली जाने वाली भाषा थी। सन् 1857 में भारत के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में हिन्दी भाषा को ही प्रयोग में लाया गया। स्वामी दयानन्द ने हर आर्य समाजी के लिए हिन्दी पढ़ने की अनिवार्यता घोषित की। 1909 ई. में बड़ौदा नरेश, बंगाल के रमेश चन्द दत्त और महाराष्ट्र के रामकृष्ण गोपाल भंडारकर महोदय आदि हिन्दी के क्षेत्र के बाहर के विद्वानों द्वारा आयोजनों में हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने की मांग पर मोहर लगाई। गाँधी जी की हिन्दी प्रियता को सभी अच्छी प्रकार से जानते हैं। उन्होंने वायसराय से शर्त रखी कि मुझे मुकद्दमें में हिन्दी बोलने की इजाज़त दी जाए इस पर वायसराय को मानना पड़ा। श्री राजगोपाल चार्य (मुख्यमंत्री) ने हिन्दी को विद्यालयों में अनिवार्य विषय बनाया। गाँधी जी के नेतृत्व में स्वतन्त्रता आन्दोलन जोर पकड़ा और तो अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ईसाई धर्म एवं पाश्चात्य संस्कृति को फैलाने की दृष्टि से अंग्रेज़ी को राजभाषा बना दिया। लार्ड मैकाले के मिनट अनुसार अंग्रेज़ी भाषा के प्रसार से भारतीयों का ऐसा वर्ग तैयार किया जाए जो देखने में भारतीय हो लेकिन उसकी मानसिकता अंग्रेजी हो ऐसा ही हुआ हम अंग्रेजी भाषा की गुलामी मानसिकता से अभी तक अपने आप छुड़ा नहीं पाए हैं।

(ख) स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात हिन्दी का स्वरूपः भारत के स्वतन्त्र हो जाने पर नेहरू जी ने कहा था अंग्रेजी निश्चय ही एक थोपी हुई भाषा है। इसने हमारे लिए ज्ञान–विज्ञान की खिड़कियाँ जरूर खोली और हमें बहुत कुछ ज्ञान भी दिया पर इस पर ऐसी भाषा होने का लांछन भी है जो हमारी अपनी भाषाओं हमारी सांस्कृतिक परम्पराओं के ऊपर जमकर बैठ गई है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले बहुत से पत्र, पत्रकारिता ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में योगदान डाला था। 15 अगस्त, 1947 तक

हिन्दी जनमानस की एक लोकप्रिय भाषा बन चुकी थी। भारतीय 1800 भाषाओं और उपभाषाओं में हिन्दी को राष्ट्रभाषा के में मानने में जरा भी अतिश्योक्ति कहना या किसी प्रकार का दुराग्रह नहीं होना चाहिए। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं सन् 1947 तक हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप का में प्रतिष्ठित होने के साथ राजभाषा के रूप में संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने में सक्षम हो चुकी थी। 1946 में संविधान सभा को गठन हुआ। संविधान सभा में हिन्दी प्रारूप में स्टेट लैंग्वेज का हिन्दी अनुवाद राजभाषा किया गया।

1. संविधान सभा में राजभाषा पर चर्चा एवं निर्णयः इसके लिए बहुत ही विचार विमर्श एवं मतदान के पश्चात संविधान सभा में राजभाषा सम्बन्धी उपबन्धों के विषय में चर्चा मुख्यतः 12, 13, 14 सितम्बर, 1949 को हुई। श्री एन गोपाल स्वामी अय्यगर राजभाषा के मुद्दे पर संविधान सभा के सदस्यों में सहमति बनाने वालों में प्रमुख थे। उन्होंने इस सम्बन्ध में सहमति की घोषणा की एवं कहा कि नए संविधान के अंतर्गत हिन्दी को संघ के सभी सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में अपनाने का निर्णय हुआ है। इस विषय में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (पश्चिम बंगाल) के उद्गार मार्मिक है। मुझे आशा है कि हिन्दी भाषी प्रान्तों के मेरे मित्र इस ठोस उपलब्धि को भुलायेंगे नहीं। हम हिन्दी को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? इसलिए नहीं कि यह भारत की सर्वश्रेष्ठ भाषा ही है। इसका मुख्य कारण है कि यह अकेली भाषा है जिसे आज देश में सबसे अधिक इकट्ठा कोई वर्ग समझता है।

इस तरह 14 सितम्बर, 1949 की सायंकाल 5.00 बजे संविधान सभा की कार्यवाही द काफी लम्बी चर्चा के बाद विभिन्न गुटों में समझौते के पश्चात 14 सितम्बर, 1949 को संविधान सभा ने हिन्दी को

राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने सदस्यों को बधाई दी।

2. हिन्दी का राजभाषा स्वरूपः हिन्दी कई दशकों से राजभाषा के संवैधानिक दायरे में विकासोन्मुख हो रही है। एक भाषा के कई रूप हो सकते हैं जैसे साहित्यिक भाषा, मानक भाषा, राजभाषा या राष्ट्र भाषा इत्यादि। जो भाषा सरकारी काम काज में प्रयुक्त होती है हम उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करती है। राजभाषा आम आदमी की भाषा होती है ताकि वह साधारण जनता के बीच विचारों का आदान प्रदान कर सके। संविधान सभा ने जिस हिन्दी की राजभाषा के रूप में कल्पना की थी। वह आम आदमी की भाषा थी।

संविधान में हिन्दी राजभाषा के रूप में स्वीकार होते हुए भी हिन्दी में कार्य तुरन्त हो सके। ऐसा न हो सका क्योंकि संविधान में इसके लागू होने से 15 वर्षों तक अंग्रेजी के प्रयोग की अनुमति दी गई।

राजभाषा अधिनियम पारित होने के कारण अंग्रेज़ी का प्रयोग अनशिचित काल के लिए बढ़ा दिया गया। इसलिए हिन्दी का प्रयोग इतना नहीं हो रहा है जितनी आवश्यकता है।

3. **केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में राजभाषा का प्रयोग में वृद्धि के लिए गये प्रयासों का विवेचनः**

(i) हिन्दी के प्रयोग में वृद्धि हेतु जून 1975 में गृह मंत्रालय के अधीन एक स्वतन्त्र विभाग के रूप में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई।

(ii) केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना से अनुवाद कार्य को गति मिली है।

(iii) केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना दिनांक 21 अगस्त, 1985 को की गई।

(iv) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय खोले गए हैं मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है जिसके अध्यक्ष निर्देशक है। इसके अधीन बेंगलूर, कोचीन, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी,भोपाल, दिल्ली एवं गाजियाबाद में स्थापित है।

(v) समितियों का गठन जैसे केन्द्रीय हिन्दी समिति, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है।

(vi) प्रोत्साहन योजनाएँ लागू की गई है जैसे इंदिरा गाँधी राजभाषा पुरस्कार, राजीव गाँधी राष्ट्रीय ज्ञान–विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना ।

(vii) अच्छा कार्य करने वाली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को पुरस्कार दिया जाता है।

(viii) हिन्दी टाईप और आशुलिपि सीखने के लिए प्रोत्साहन व पुरस्कार देना।

(x) हिन्दी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन ।

(x) हिन्दी के प्रयोग की गति को बढ़ावा देने के लिए सरकार को सभी अधिनियम, नियम

कोड को अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद की व्यवस्था की गई है।

(xi) शब्दावली आयोग की स्थापना की गई।

(xii) टाईपराइटरों पर देवनागरी लिपि की सुविधाएँ प्रदान करना।

(xii) सरकारी कार्यालयों में सभी कम्प्यूटर प्रणालियों द्विभाषी करने की कोशिश ।

(xiv) कम्प्यूटर पर हिन्दी में एकरूपता से कार्य करने की उपलब्धता ।

(xv) हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण होना।

निष्कर्ष

उपर्युक्त हिन्दी के स्वरूप पर विचार करने पर यह कहने में अतिश्योक्ति नहीं होगी। कुछ वर्षों में हिन्दी विकास में कमी रही है राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में हिन्दी पिछले विकास पिछड़ा है इसे

राजभाषा मानते हुए भी हिन्दी में कार्य का अभाव रहा है क्योंकि हमारे जनमानस में इस भाषा के प्रति प्रियता है। परन्तु कुछ लोगों में उच्च वर्ग अंग्रेजी की चाल ढाल में ढला है और जब तक उसकी मन से दासता स्वीकार करता रहेगा तब तक विकास और स्वरूप से हिन्दी राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में अवहेलना होती रहेगी। फ्रांस और चीन में मी भाषाएँ बोली जाती है परन्तु राजभाषा क्रमश फ्रेंच और चीनी है। राष्ट्रभाषा सम्मेलन में के प्रचार प्रसार पर जोर देते हुए नेता जी सुभाषचन्द्र बोस ने कहा था कि प्रान्तीय प को कम करने में जितनी सहायता हिन्दी के प्रचार से मिलेगी उतनी किसी दूसरे माध्यम स मिल सकती है। हिन्दी के विरोध का कोई भी आन्दोलन राष्ट्र की प्रगति में बाधक है। विश्व स्तर पर हिन्दी भाषा भाषियों की संख्या 730 मिलियन तथा चीनी 726 मिलियन अंग्रेजी 397 मिलियन है। यदि इस आधार पर माना जाए तो हिन्दी विश्व की प्रथम भाषा है हिन्दी आधुनिक इण्डो आर्य भाषा है जो मुख्य रूप से भारत पाकिस्तान के अतिरिक्त त्रिनिनाद फिजी, सूरीनाम, थाईलैंड, श्रीलंका, यू.ए.ई., गुआना, दक्षिण अफ्रीका, बंगला देश, अमेरिका ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल न्यूजीलैंड, मॉरिशियस युगांडा, यमन, सिंगापुर, इण्डोनेशिय रूस, जर्मनी, हालैंड एवं

अरब देश और अरब अमीरात देशों में समझी व बोली लिखी जाती है। आज विश्व के अनेक देशों में हिन्दी की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। हिन्दी सं माध्यम रेडियो दूरदर्शन कम्प्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल लैपटॉप की भाषा बन चुकी है। हिन्द प्रसारण चैनलों ने धूम मचा रखी है। बच्चों में डिज़नी कार्टून डोनाल्ड डक और मिकी माऊस के हिन्दी प्रसारण लोकप्रियता की चरम सीमा छू रहे हैं। डॉ. विजय काम्बले ने भारतीय भाषा में कम्प्यूटर और विश्व जाल आलेख में लिखा है कि माइक्रोसॉफ्ट, याहू, रेडिफ आदि विदेश कम्पनियाँ अपनी वेबसाइट सूचना प्रौद्योगिकी में इ–कॉमर्स, इ–गर्वनेस क्षेत्र में हिन्दी का विकास कर रही है। डिस्कवरी व ज्योग्राफी चैनलों में भी डब की गई हिन्दी में प्रसारित होने के कारण लोकप्रियता हासिल की है।

वैश्वरीकरण के कारण भाषा वही जिन्दा रह सकेगी जो परिस्थितियों के अनुसार अपन स्वरूप बदलेगी। बाज़ार की जरूरतों के अनुसार हिन्दी का प्रयोग बढ़ रहा है और स्वरूप में तबदीली आ रही है। इस बदलते स्वरूप में हिन्दी का पिछले स्वरूप पर दृष्टिपात करने से लगता है कि हिन्दी जो आज 25 वर्ष पूर्व थी वह नहीं रह गई है। प्रशासन में भी आम बोलचाल की भाषा बढ़ावा देने की आवश्यकता है इसे दुरूह न बनाया जाए। राजभाषा हिन्दी को शत प्रतिशत लागू करने के लिए केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। उपर्युक्त विवेचन से स्पर है कि लोगों की यह प्रिय भाषा है और राष्ट्रभाषा अधिकारिक रूप से घोषित हो सकती है।

हिन्दी भाषा शिक्षण व अधिगम के समय शिक्षक और शिक्षार्थी के सामने आने वाली चुनौतियाँ

भाषा में कुशलता अर्जित करने के लिये अभ्यास करना आवश्यक होता है। बच्चा जन्म के कुछ महीनों पश्चात् ग्रहण करते हुए धीरे–धीरे भाषा की ध्वनियों को मस्तिष्क में एकत्रित करना प्रारम्भ तो कर लेता है बड़ा होने पर भाषा के शुद्ध और स्तरीय प्रयोग भाषायी कुशलताओं के निरन्तर अभ्यास से सम्भव है। हर बच्चा मातृभाषा को बड़ी ही सुगमता से सीख जाता है। जहां पर हिन्दी मातृभाषा के रूप में विद्यार्थी पढ़ता है उसे हिन्दी –अधिगम (सीखना अथवा व्यवहार परिवर्तन) में ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता न ही शिक्षक को हिन्दी शिक्षण में अधिक कठिनाइयां आती है परन्तु अहिन्दी भाषी प्रदेशों में शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए हिन्दी शिक्षण और हिन्दी अधिगम श्रम साध्य कार्य है। हिन्दी भाषा शिक्षण व अधिगम के समय शिक्षक शिक्षार्थी के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार विमर्श करने से पहले शिक्षण और अधिगम से क्या अभिप्राय है यह जान लें।

शिक्षण का अर्थ

साधारण शब्दों में सीखाने की क्रिया को शिक्षण कहा जाता है परन्तु शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है इसको बहुत सी बातें प्रभावित करती है जैसे समाज. वातावरण, साधन मूल्य, मान्यताएं इत्यादि। कई विद्वान शिक्षण को अन्त प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं एच. सी. मौरीसन अनुसार, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व के सम्पर्क में आता है और कम विकसित व्यक्तित्व की आगे की शिक्षा के विकास की व्यवस्था करता है। इस तरह हम कह सकते है शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिस का नियोजन ऐसे वातावरण में हो जो सकारात्मक व सापेक्षता में छात्रों को सिखाने के लिए प्रयत्न है। शिक्षण का अर्थ ही सिखाना होता है। यह प्रक्रिया सोद्देश्य हो, विकासातमक हो, उपचारात्मक हो एवं सततः हो, औपचारिक एवं अनौपचारिक भी हो सकती है।

S.D. COLLEGE OF EDUCATION (T.)
KNOWLEDGE IS
ज्ञानं चक्षुर्मनुष्याणाम

अधिगम का अर्थ

अधिगम का साधारण अर्थ सीखना परन्तु आज के शिक्षा विद अधिगम को व्यापक व्यापक अर्थों में लेते हैं सीखने के साथ व्यवहार में परिवर्तन भी होना आवश्यक है। अर्थात् अधिगम का अर्थ है सीखना अथवा व्यवहार परिवर्तन । परन्तु व्यवहार में परिवर्तन तभी श्रीधातिशीघ आता है जब शिक्षार्थी अनुर्भव से

सीखता है। किसी ने तैराकी करनी है। परन्तु जब तक वह पान में नहीं कूदेगा तब तक तैराक बनना असम्भव है। उसके लिए उसको पानी में तैरने का अनुभव चाहिए। खाली नियम या सिद्धांत बताने से वह नहीं सीख पाएगा। अर्थात् अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है।

गेट्स ने कहा है, अनुभव एवं प्रशिक्षण से व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं।

कानबेक के अनुसार अधिगम अनुभव के परिणामस्वरूप व्यवहार परिवर्तन द्वारा प्रदर्शित होता है।

स्किनर के अनुसार, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधिगम प्रक्रिया मानव की ऐसी प्रवृति है जिससे व्यक्ति की मानसिक, सामाजिक योग्यताओं का विकास होता है। यह जीवनपर्यन्त चलने वाली स्वतः तथा नियोजित एवं सक्रियतापूर्ण प्रक्रिया है।

हिन्दी शिक्षण भाषा व अधिगम

भारत में हिन्दी समझने वालों की संख्या 74.40% है, भोपाल में 10वें विश्वसम्मेलन में सरकार की तरफ से हो रहे प्रयासों को इन्हें स्पष्ट किया गया है कि हिन्दी संयुक्त राष्ट्र भाषा संघ की छठीं आधिकारिक भाषा के रूप में बनाया जाएगा। भविष्य में हिन्दी भाषा शिक्षण की लोकप्रियता विश्व के प्रसिद्ध देशों व पूरे भारत में बढ़ने की आशा है। किसी भाषा को सीखने के क्रम में प्रथमतः चार कौशल जरूरी है। हिन्दी में भी यही चार कौशल– समझना (श्रवण), बोलना (मौखिक अभिव्यक्ति). पढ़ना (अक्षरों वर्णों, मात्राओं इत्यादि का ज्ञान) लिखना (लिपि की बनावट इत्यादि का ज्ञान) आवश्यक है। धीरे–धीरे गहन अध्ययन स्वाध्याय से गद्य, कविता, लेख का बोध, साहित्य का ज्ञान इत्यादि भी आवश्यक रहता है। भाषायी कौशल बढ़ाने के लिए निरन्तर अभ्यास की आवश्यकता रहती है। शिक्षक को हिन्दी शिक्षण में इस बात पर विशेष ध्यान रखना होता है कि शिक्षण का नियोजन इस ढंग से करे कि छात्रों की योग्यताओं के

अनुसार व्यक्तित्व का विकास का प्रयास किया जा सके। क्योंकि अधिकांश शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षण को त्रिकोणीय प्रक्रिया कहा है ब्लूम के अनुसार, शिक्षण के तीन पक्ष (1) शिक्षण उद्देश्य (2) सीखने के अनुभव (3) व्यवहार परिवर्तन है। इस के अनुसार जब हिन्दी–शिक्षण हो तो शिक्षक और शिक्षार्थी समान रूप से क्रियाशील रहे। परन्तु आज के शिक्षण में ऐसी परिस्थितियों की व्यवस्था की जाती है जिनमें कुछ रिक्त जगह छोड़ दी जाती है तथा मुश्किलों को हल करने के लिए शिक्षार्थी के लिए स्थान छोड़ा जाता है। इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक के अपेक्षा शिक्षार्थी अधिक सक्रिय रहता है। शिक्षण प्रक्रिया में देखा जाता है कि अक्सर औसत शिक्षार्थियों के अनुसार शिक्षण की व्यवस्था रहती है व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर यथानुसार ध्यान नहीं दिया जाता और प्रतिभाशाली तथा कमजोर शिक्षार्थियों की अवहेलना रहती है

पर यदि हम उनकी कठिनाइयों की बात करें, तो न ही सामान्य, न प्रतिभाशाली न ही कमजोर शिक्षार्थियों पर कोई ध्यान नहीं रहता। प्रतिभाशाली छात्रों को बार– संज्ञा, सर्वनाम करवाने से वे ऊब जाते हैं कक्षा में पाठ की पुनरावृति से दुखी हो जाते हैं। कमजोर छात्रों का शिक्षण भी औसत विद्यार्थियों से अलग रहना चाहिए कमजोर विद्यार्थियों को तो चाहिए पुनरावृति ही उस से ही उन्हें समझ जाता है। तो ही उनकी कठिनाईयों का निदान होता है।प्रश्न पैदा होता है कि शिक्षक को हिन्दी–शिक्षण में और शिक्षार्थियों को अधिगम के समय कौन–कौन सी

चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिनका उल्लेख निम्न अनुसार है। इसको दो भागों में बाँट कर करेंगे।

1. निदानात्मक शिक्षण (Diagonistic Teaching)
2. उपचारी शिक्षण (Remedial Teaching) लिखने मे व्यक

(क) निदानात्मक शिक्षण (Diagonistic Teaching) एवं वर्तनी की अदि जब किसी व्यक्ति को शारीरिक रोग है तो इलाज से पहले पता लगाया जाता है कि उसको क्या रोग या दोष है? इस दोष का पता लगाना

निदान कहलाता है। इस तरह जब शिक्षार्थी भाषा सीखते है तो वह कई प्रकार के दोष करते रहतेहैं उन्हें शिक्षण प्रक्रिया में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई विद्यार्थियों का अशुद्ध उच्चारण होता है। कुछ लिखने में व्याकरण एवं वर्तनी की अशुद्धियाँ करते हैं। विद्यार्थियों के भाषा सम्बधी दोषों को यदि शिक्षक नहीं समझते तो यही दोष जीवन पर्यन्त चलते है यदि वही पर शिक्षक उसका उपचार करे तो निश्चित रूप से शिक्षार्थी समझते भाषा अधिगम में आने वाली कठिनाइयों का हल निकाल लेते हैं। अकसर देखा जाता है कि विद्यार्थियों को भब के उच्चारण ठीक ढंग से नहीं कर पाते।जब तक शिक्षक उसको उपचार पद्धति से ध्वनि के स्थान से अवगत नहीं करायेगा तब तक शिक्षार्थी सजग होकर भ व का शुद्ध उच्चारण नहीं करेगा। इसलिए शिक्षक को चाहिए वह हिन्दी शिक्षण की प्रक्रिया को निदानात्मक शिक्षण के लक्ष्यों को सामने रक्खे। अन्यथा जीवन पर्यन्त भाषा सम्बन्धी ध्वनियों की त्रुटियों एवं अन्य चुनौतियों के साथ उनके व्यक्तित्व विकास तथा जीवन को सफल बनाने में बाधा खड़ी कर सकती हैं।

निदानात्मक शिक्षण से जो भी दोष पकड़ में आते है उनको शिक्षक समझें यह शिक्षार्थियों की परीक्षाओं से पहले होना चाहिए। परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर विद्यार्थियों का क्षमाताओं कर स्तर निर्धारित किया जाता है। क्योंकि उस समय अंकों के आधार पर स्तर का पता चलता है। यदि अंक कम है तो परीक्षा में त्रुटियां अधिक है और त्रुटियों का निवारण परीक्षाओं से पहले होना चाहिए। कई बार परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर त्रुटियों नजर आती। यह शिक्षक द्वारा निदानात्मक शिक्षण न होने के कारण से होता है। सोचिए कि कई सश के उच्चारण के अन्तर को समझ नहीं पाते, शिक्षक भी उस ओर ध्यान नहीं दे पाते तो यह ध्वनि पक्की हो जाती है। यह सब दोषों को जानने के लिए शिक्षक की ओर से निदानात्मक शिक्षण की आवश्यकता है।

डॉ. एल. मुकर्जी के विचारनुसार, कैसे भी कारण क्यों न हों, उनका जल्दी से ही निदान महत्वपूर्ण होता है। इस से बुरी आदतों का निर्माण नहीं होता। और विशेष कठिनाइयाँ बन जाती है। यह शिक्षक और कभी–कभी शिक्षार्थी को भी उस क्षेत्र–विशेष के प्रति सचेत कर देता है। जिस में दोष होते हैं और यह उपचार के प्रति एक लम्बा कदम है।इस प्रकार शिक्षक को हिन्दी शिक्षण में शिक्षार्थियों की निम्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, उनका पता लगाना चाहिए। जिससे शिक्षार्थियों को भी उन्हें ठीक करने के अवसर मिलें।

हिन्दी शिक्षण व अधिगम सम्बन्धी चुनौतियों को पहचानना

(1) शिक्षक अशुद्ध वाचन के लिए पता लगाए कि ऐसे कौन–कौन से कारण है। जिनसे यह शुद्ध वाचन नहीं कर पाते, हो सकता है शिक्षार्थियों को इस सम्बन्धी अनभिज्ञता ही हो. दूसरी शारिरीक दोष हो सकता है, या फिर अभ्यास की कमी हो सकती है. या फिर पारिवारिक या स्थान का वातावरण का प्रभाव होता है।

(ii) लेखन सम्बन्धी चुनौतियों के विषय में भी उनके दोषों को पहचानना और उनका उपचार आवश्यक है।लेखन सुन्दर न होना, उसमें सुडीलता की कमी, अक्षरों के बनावट में कमी, गति से न लिख पाना,अस्पष्टता होना इत्यादि विषय–वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से न लिख पाना, क्रमबद्धता का अभाव होना इत्यादि ।हिन्दी भाषा के शिक्षक को व शिक्षार्थी को मौखिक अभिव्यक्ति सम्बन्धी भी बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अध्यापक चाहता है कि शिक्षार्थी धारा प्रवाह बोलना शुरू करें। शिक्षार्थी की मातृभाषा हिन्दी है तो वह धारा प्रवाह बोलता है। यदि हिन्दी द्वितीय भाषा या राष्ट्र भाषा के रूप में कुछ वर्ष पढ़ी है तो उन दोनों के समक्ष बहुत सी कठिनाइयाँ रहती है। शिक्षक अभ्यास के मौके नहीं दे पाता और शिक्षार्थी भी अभ्यास में रूचि नहीं दिखाता। दोनों के सामने मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता में कुशलता का निर्माण करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। भाषा की शुद्धता पर जोर भी हिन्दी शिक्षण की प्रक्रिया में अति जरूरी है। हिन्दी ध्वन्यात्मक भाषा है अतः शिक्षक शिक्षार्थियों की ध्वनियों का ठीक प्रशिक्षण पर बल नहीं देता एवं उनकी मौखिक अभिव्यक्ति के अभ्यास के पर्याप्त अवसर नहीं दे पाता।

भाषायी कुशलता सम्बन्धी चुनौतियों के अतिरिक्त शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों में अन्य कठिनाईया:- शिक्षक की अल्पज्ञता तथा उस के मन में तनाव या फिर परिस्थिति जन्य कारणों से भाषा सम्बन्धी कई दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसी तरह शिक्षार्थियों में संवेदनात्मक अवरोधों से भाषा सीखने में कठिनाई आती है।शारीरिक दोषों से भी जैसे श्रवण शक्ति कमजोर है तो शिक्षक की अभिव्यक्ति को ठीक से नहीं समझ पाएगा हाथों के स्नायुतंत्र कमजोर है तो लिखने की अभिव्यक्ति में दोष आता है। शरीर ग्रंथियों के संतुलित न होने से शरीर में कितने प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। गले के थाईराईड से आवाज मुश्किल से निकल पाती है।

उपर्युक्त विवेचन से यह बहुत जरूरी है कि चुनौतियों को बड़ी समस्या नहीं मानना है शिक्षक औरशिक्षार्थी को निष्क्रिय नहीं बनना बल्कि शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है। शिक्षक का प्रभावशाली शिक्षण तभी होगा जब समपानुरूप समय का सदयपोग करता हुआ त्रुटियों को अच्छी तरह समझा सकेगा और शिक्षार्थियों में सीखने की रूचि उत्पन्न कर के उन्हें वांछित परिवर्तन की ओर उन्मुख करेगा। यह तभी हो सकेगा जब शिक्षार्थी अपने किसी प्रकार के दोष को अपना लेगा और शिक्षक उनकी चुनौतियों को दूर करने के सदैव सहानभूतिपूर्ण एवं सहायक के रूप में अपनी भूमिका अपनायेगा। अतः निदानात्मक शिक्षण से हिन्दी शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली करना है। पर किसी प्रकार की हिन्दी भाषा सम्बंधी त्रुटियों के हल से पहले उसके कारणों को जानने की आवश्यकता रहती है।

<u>हिन्दी भाषा शिक्षण व अधिगम की चुनौतियों को हल करने की विधियाँ</u>

1. निरीक्षण विधि

2. परीक्षण विधि

3.साक्षात्कार विधि

4. संचित अभिलेखा विधि

1. निरीक्षण विधिः इस विधि से शिक्षक सचेत रहता है कि किस तरह की अशुद्धियाँ या चुनौतियों शिक्षार्थी कर रहा है। उसका कारण ध्यान से देखा जाता है। उदाहरण यदि कोई शिक्षार्थी अशुद्ध वाचन करता है तो शिक्षक निरीक्षण से यह पाता है कि उसने आदर्शवाचन ध्यान से नहीं सुना है। या कानों में दोष है या पारिवारिक प्रभाव है। ऐसी स्थितियों में शिक्षार्थी को भलीभांति कारण जान कर उसे सचेत और अभ्यास से दूर करवाया जाता है। इसी तरह लेखन सम्बन्धी शिक्षक की रचनात्मक कार्य की अवहेलना के लिए शिक्षार्थी के लिए सुन्दर लेखन के प्रयास चलते जाने चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि शिक्षार्थी विद्वान शब्द को पहचान नहीं पाते कि आधा अक्षर व है द है। द के नीचे ध ही लिखकर काम चला लेते हैं। शिक्षक शिक्षार्थियों के समक्ष स्पष्ट करें। उनको समय देकर श्यामपट्ट की सहायता से समझाएं।

2. परीक्षण विधिः अधिकांश शिक्षार्थी अपने अपमान की वजह से बहुत सी त्रुटियों को व्यक्त नहीं करते। ऐसी स्थिति में लिखित और मौखिक कक्षा परिक्षाओं से जांचा जा सकता है। पर ध्यान रहे ये परिक्षाएं

त्रैमासिक छः मासिक नहीं होनी चाहिए। कक्षा परीक्षाएं हर पाठ की समाप्ति बाद चलनी चाहिए। इन परीक्षाओं के अतिरिक्त कई शिक्षाविदों ने निदानात्मक परीक्षणों का भी निर्माण किया है। जिन की सहायता से भाषा सम्बन्धी त्रुटियों को जाना जा सकता है। शिक्षक आवश्यकता अनुसार परीक्षाओं को भी तैयार करके इन चुनौतियों का हल निकाल सकता है। ध्यान रहे शिक्षक परीक्षाओं को तैयारी से पहले अपनी भी तैयारी करें अल्पज्ञता से परीक्षा ठीक ढंग से नहीं ली जा सकती।

3. साक्षात्कार विधिः कुछ शिक्षार्थी संवेगात्मक एवं हीन भावना के शिकार होते है। उनके लिए साक्षात्कारविधि अत्यन्त प्रभावशाली रह सकती है। साक्षात्कार विधि तभी सफल रह सकती है जब शिक्षार्थी को यहपता हो हमारे शिक्षक को हम से सहानुभूति है, वह हमारे मित्र की भांति है। मार्गदर्शक है, और इंसान है।तभी शिक्षार्थी बिना किसी झिझक के साक्षात्कार के लिए तैयार हो सकेगा। शिक्षार्थी का शिक्षक के साथपूर्व कड़वाहट पूर्ण अनुभव साक्षात्कार से भी चुनौतियों को समझने से सफलता नहीं मिलेगी। अतः शिक्षकको अपना व्यवहार आत्मीयतापूर्ण रखने की आवश्यकता है। फिर ही शिक्षक साक्षात्कार के माध्यम से शिक्षार्थी के मन की गहराईयों तक जा कर कार्य कर सकता है। पारिवारिक चुनौतियों और आर्थिक समस्याओं तथा अन्य कारणों को जानकर हल ढूंढ सकता है। कई बार शिक्षार्थी बुद्धिमान होता है।परन्तु आर्थिक समस्याओं से किताबे खरीदने में असमर्थ होता है, उसकी थोड़ी सी वित्तीय सहायता से वह ठीक प्रकार से पढ़ना शुरू कर देता है। तो ऐसी चुनौतियों शिक्षक साक्षात्कार से समझ के हल निकाल सकता है।

4. संचित अभिलेखा विधिः संचित अभिलेख से अभिप्राय है कि विद्यार्थियों की प्रगति का लेखा–जोखा रखना। कुछ शिक्षाविद इस बात के लिए जोर देते हैं कि शिक्षार्थी के विद्यालय में प्रवेश से ही उसकी रूचियों अभिरूचियों, इच्छाओं तथा विभिन्न क्रियाओं को रिकार्ड रखना आवश्यक है शिक्षार्थियों की कठिनाइयों को समझने व जानने के लिए संचित लेखों को परखा जा सकता है। केवल भाषा सम्बन्धी कठिनाइयों का हल ही शिक्षण, अधिगम प्रक्रियों को प्रभावशाली नहीं बनाता बल्कि इन अभिलेखों से शिक्षार्थी का मानसिक विकास, बौद्धिक विकास की प्रगति का लेखा भाषा सम्बन्धी चुनौतियों को समझने में सहायक बनता है। परन्तु ये अभिलेख पूर्ण और उचित ढंग व व्यवस्थित हो तभी इन का लाभ उठाया जा सकता है।

(ख) उपचारी शिक्षण (Remedial Teaching)

उपचार शिक्षा से अभिप्राय है कि हिन्दी–शिक्षण में शिक्षार्थियों की भाषा सम्बन्धी चुनौतियों का निराकरण करना। जब शिक्षक ने ऊपरलिखित विधियों द्वारा शिक्षार्थियों की भाषा सम्बन्धी त्रुटियों व चुनौतियों को जान लिया है। शिक्षक जब तक उन्हें निराकरण नहीं करेगा। तब तक शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती और यह भी जानना जरूरी है कि शिक्षक ने जो शिक्षार्थी को सिखाया है उसके सीखने पर उसमें परिवर्तन आया है या नहीं। एक बार उसके सीखने का मार्ग प्रशस्त हो जाए तो चुनौतियों तो जड़ से उखड़ जाती है। शिक्षक के सामने उपचार के समय बहुत बड़ी चुनौती रहती है भाषा सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ– सामने है पर उनका हल कैसे हो? क्या करे? कि शिक्षार्थियों के भाषायी विकास के लिए समुचित दिशा मिले और वांछित पविर्तन हो सके।

उपचार की विधियाँ

1. समूहिक उपचार विधिः जैसे शीर्षक से स्पष्ट है कि कक्षा के समूह की ही भाषा सम्बन्धी चुनौती का हल करना सामूहिक उपचार है। शिक्षक इसके लिए सामान्य अशुद्धियों की सूची तैयार कर लेता है जैसे वाचन, अक्षर विन्यास, लेखन, व्याकरण की सूचियां बना ली जाए। कक्षा मेंशिक्षक आदर्श वाचन जरूर करें और शिक्षार्थियों से व्यक्तिगत वाचन भी करवाए। इसी तरह अन्य त्रुटियों का हल श्यामपट्ट के प्रयोग से भी किया जा सकता है इस में शिक्षक और शिक्षार्थियों के समय की बचत भी होती है। यह विधि श्रम साध्य होते हुए शिक्षार्थियों के लिए लाभकारी है। पर इसके लिए अभ्यास अपेक्षित है।

2. व्यक्तिगत उपचार विधिः व्यक्तिगत उपचार हर शिक्षार्थी की व्यक्तिगत चुनौतियों अर्थात् अशुद्धियों कठिनाइयों से सम्बंधित होता है। इस में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर ध्यान देना जरूरी होता है। क्यों हर शिक्षार्थी को एक ही लाठी से हाँकना उचित नहीं होता, उसकी अपनी क्षमताएं. योग्यताएं, रूचियां अभिरूचियां होती है। व्यक्तिगत विधि इसलिए भी उचित है कि इसमें शिक्षार्थी की परिस्थितियों, बौद्धिक और मानसिक विकास एवं उसकी विवशताओं को भी ध्यान में रखा जा सकता है। शिक्षक अच्छा पारखी होता है। यदि उसमें परख करने की योग्यता नहीं भी है फिर भी उसे इसका विकास करना ही होगा। मनोविज्ञान का अध्ययन हर हिन्दी शिक्षण के शिक्षकों के लिए आवश्यक विषय के रूप में होना चाहिए तभी व्यक्तिगत उपचार विधि से कठिनाइयों को दूर करने की क्षमता एवं गुण पैदा हो सकते हैं। कुछ चुनौतियों को सामूहिक विधि से कुछ त्रुटियों को व्यक्तिगत विधि से दूर किया जाए।इसके अतिरिक्त शिक्षक शिक्षार्थियों का उत्साह भी बढ़ाता रहे उनके दोषों का कक्षा में | चिल्ला कर बताने से वह

अपमानित महसूस करते हैं। ऐसा करने से उनके मन में गांठे बन जाती है और वह हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। उनके साथ प्रेम भावना सद्भावना, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बहुत आवश्यक है। व्यवहार में कर्कशता उनकी चुनौतियों को बढ़ा देती है कम नहीं करती है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत। सुजान की उक्ति अनुसार निरंतर अभ्यास कार्य को प्राथमिकता दें कौन सा तैराक अभ्यास से अपना बेड़ा पार नहीं लगाता । किसी को भी असफलता का सामना करना अच्छा नहीं लगता। वाचन सम्बन्धित अशुद्धियों या रचनात्मक कार्य की बेडौल बनावट, अव्यवस्थितता सब अभ्यास से ठीक हो सकते हैं। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए शिक्षक समय–समय पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन भी करता रहें।